

सूचना के अधिकार (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-26) की समझ बढ़ाने हेतु कार्यक्रम

विभाग में दिनांक 14-08-2019 और 24-09-2019 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आरटीआई-पीएमयू और आईएसटीएम के सहयोग से कार्यशाला के रूप में शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

\*\*\*\*\*